न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 69 / 2013 / राजस्व वाद

उनवान

मंदिर मूर्ति श्री बालाजी विराजमान जरिये पूजारी मगनदास उर्फ मांगीलाल पि. कंवरदास जाति बैरागी नि. पिडावा तहसील पिडावा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 91 , 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील अप्रार्थी – श्री विनोद शर्मा
पेरोकार सरकार – तहसीलदार पिडावा

निर्णय **दिनांक :** 24/01/2023

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2066–69 के खाता स. 405 की आराजी ख.नं. 1056 रकबा 15 बिस्वा , ख.नं. 1061 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि के संबंध में आर.टी.एक्ट की धारा 88 , 91 , 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री बालाजी खातेदारी में दर्ज है एवं वादी के पूर्वज ही मंदिर की सेवा पूजा कार्य करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर वादी काश्तकार है। वादी का नाम व पूर्वजो का नाम वादग्रस्त आराजी पर सं. 2022–41 से खाते चला आ रहा है। वादी के पूर्वजो का नाम विरासत के रूप में पीढी दर पीढी दर्ज होता आ रहा है किन्तु राजस्व विभाग ने बिना किसी अधिकार के व बिना न्यायालय आदेश के वादी के पूर्वजो का नाम उक्त राज्यादेश की आड में विलोपित कर दिया है जबकि वादी मंदिर की सेवा पूजा करता चला आ रहा है।

राजस्थान सरकार ग्रुप 6 परिपत्र कमांक 3(2) राजस्थान 6 / 2007 / 14 दिनांक 24.05.2007 में जारी परिपत्र के पैरा नं. 5 में अंकित है कि जागीरो की अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पटटेदार या खादीमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उ[illegible]रो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तानान्तरणीय अधिकार प्राप्त है [illegible] मंदिरो के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने भी दिनांक 24.05.2007 के परिपत्र की समुचित पालना के संदर्भ में क्रमांक राज/463/न्याय/रथा/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 जारी किया जिसमें भूमि पर पुनः पूजारी के खाते दर्ज करने के आदेश फरमाये है। राजस्थान सरकार राजस्व विभाग ग्रुप 6 परिपत्र क्रमांक प.2(4)राज/4/90/37 दिनांक 13.12.1991 मंदिर मूर्ति की खातेदारी में दर्ज पूजारी एवं सेवादारो के संबंध में था। राजस्व विभाग ने बिना तथ्यों की जांच किये वादी के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिये। इस संबंध में राज.भूमि सुधार तथा जागीर पुनः अधिनियम 1952 की धारा 9 मे प्रावधान किया है। वाद कारण दिनांक 09.06.2013 को तब उत्पन्न हुआ जब वादी को खाद बीज के लोन के लिये बैंक ने मना कर दिया।

अतः कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2066–69 के खाता स. 405 की आराजी ख.नं. 1056 रकबा 15 बिस्वा , ख.नं. 1061 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि में बतौर पूजारी वादी का नाम दर्ज किया जावे। वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी सं. 2066–69 के खाता सं. 405, खसरा गिरदावरी , परिपत्र दिनांक 24.05.2007 , उपखण्ड अधिकारी खानपुर का निर्णय दिनांक 14.06.2012 , मृत्यु प्रमाण पत्र व प्रमाण पत्र , सेटलमेंट पर्चा लगान की प्रतियां प्रस्तुत की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी पेरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब करने पर पेरोकार सरकार जरिये नायब तहसीलदार पिडावा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया।

वाद पत्र, जवाब वाद पत्र, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पिडावा की दिनांक 04.01.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मंदिरो की सम्पत्ति जिनमें माफी दर्ज थी जिनको मुत बल्लियों व्यवस्थापको , पूजारियो व देख रेख करने वालो के नाम दर्ज कर दी है उन्हे उचित कार्यवाही कर मंदिर माफी के नाम दर्ज किया जावे। राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों अनुसार मंदिर, मस्जिद माफी की सम्पत्ति पर जमाबंदी में पूजा[illegible] नाम दर्ज करने के बजाय तहसील स्तर पर एक रजिस्टर [illegible] जिसमें मंदिर, मस्जिद माफी की भूमि के [illegible] नाम दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

तहसील स्तर पर एक रजिस्टर संधारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है जिसमें मंदिर, मस्जिद माफी की भूमि के पूजारी अथवा सेवादारो का नाम दर्ज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में पूजारी या सेवादार का नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण खारीज किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेश दिया जाता है कि तहसील स्तर पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एक रजिस्टर संधारित कर कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2066–69 के खाता स. 405 की आराजी ख.नं. 1056 रकबा 15 बिस्वा , ख.नं. 1061 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि में बतौर पूजारी वादी का नाम दर्ज करने की कार्यवाही सम्पादित की जावे।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 69/2013/राजस्व वाद

उनवान

मंदिर मूर्ति श्री बालाजी विराजमान जरिये पूजारी मगनदास उर्फ मांगीलाल पि. कंवरदास जाति बैरागी नि. पिडावा तहसील पिडावा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 91 , 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील अप्रार्थी – श्री विनोद शर्मा

पेरोकार सरकार – तहसीलदार पिडावा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रुबरु वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत प्रकरण में पूजारी या सेवादार का नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण खारीज किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेश दिया जाता है कि तहसील स्तर पर राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार एक रजिस्टर संधारित कर कस्बा पिडावा तहसील पिडावा की जमाबंदी सं. 2066–69 के खाता स. 405 की आराजी ख.नं. 1056 रकबा 15 बिस्वा , ख.नं. 1061 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि में बतौर पूजारी वादी का नाम दर्ज करने की कार्यवाही सम्पादित की जावे।

निज .... मुवलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/01/23 को जारी की गई।

(अभिषेक चारण)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			[illegible] अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			[illegible]		
फीस कमिशनर			[illegible]		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner